

मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ-19-34/2020/पी-1/31
प्रति,

भोपाल, दिनांक...../...../2020

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय -- "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र बाबत- श्री डी० के० जैन, से०नि० कार्यपालन यंत्री
---००---

श्री डी० के० जैन, कार्यपालन यंत्री अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2020 से सेवा निवृत्त हुये।

2/ विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर श्री डी० के० जैन, से०नि० कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध वर्तमान में कोई मांग एवं जांच लंबित नहीं है। श्री डी० के० जैन, सम्पूर्ण सेवा काल में कभी भी नर्मदा घाटी विकास विभाग में पदस्थ नहीं रहे है।

अतः उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री डी० के० जैन, से०नि० कार्यपालन यंत्री के पक्ष में "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 14/09/2020

क्रमांक-एफ-19-34/2020/पी-1/31
प्रति,

- 1 अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन बंडल, इन्दौर म०प्र०।
 - 2 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग शाजापुर म०प्र०।
 - 3 संबंधित कोषालय अधिकारी.....
 - 4 संबंधित अधिकारी श्री डी० के० जैन, से०नि० कार्यपालन यंत्री (द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग)
 - 5 वेतन मैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेतनहट फर प्रविष्टि हेतु।
 - 6 स्टाक प्रंजी।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।

अवर सचिव 14/9/20

म०प्र० शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल